(सिर्फ वनकर्मियों हेतु)

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2
का संक्षिप्त विवरण

1. **परियोजना का नाम** : राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2
2. **सहायता द्वारा** : जापान इन्टरनेशनल कार्पोरेशन एजेन्सी (JICA)
3. **परियोजना लोन एग्रीमेंन्ट संख्या** : ID-P221
4. **परियोजना अवधि** : 8 वर्ष (2011–12 से 2018–19 तक)
5. **परियोजना क्षेत्र** :

   राजस्थान राज्य के 10 मरूस्थलीय जिलें (सीकर, झुझंनू, चुरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर) एवं 5 गैर मरूस्थलीय जिलें (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर) तथा 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण, फूलवाडी की नाल वन्यजीव अभ्यारण, जयसमन्द वन्यजीव अभ्यारण, रावली टांटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण, सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण, कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण) के आस पास 2 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र में परियोजना अन्तर्गत 650 गांवों में कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। 340 गांव मरूस्थलीय जिलों में, 250 गांव गैर मरूस्थलीय जिलों में तथा 60 गांव वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास 2 कि.मी. परिधि में लिया जाना प्रस्तावित है।

6. **परियोजना का उद्देश्य** :

   "साझा वन प्रबन्धन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता सरंक्षण के कार्यो के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्वि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।"

7. **परियोजना के घटक** : परियोजना की गतिविधियाँ निम्न घटकों में विभाजित की गई है :

घटक I – वृक्षारोपण

परियोजना में निम्न वृक्षारोपण मॉडल्स के अन्तर्गत कार्य लिया जाना निर्धारित है :

क्र. सं.	मॉडल्स का नाम	भौतिक लक्ष्य
1	Canal Side Plantation Distributory (CSP)	2000 RKM
2	Canal Side Plantation Minar (CSP)	3000 RKM
3	Block Plantation (BP)	5000 HA.
4	Sand Dune Stabilisation cum Pasture Development (SDS)	25000 HA
5	Silvipastrol Plantation (CP)	25000 HA
6	Rehabilitation of Degraded Forests-I (RDF-I)	6000 HA
7	Rehabilitation of Degraded Forests-II (RDF-II)	6000 HA
8	Fuel Wood Plantation (FWP)	10000 HA
9	Assisted Natural Regeneration (ANR)	2500 HA
10	Productivity Enhancement Operations (PEO)	2500 HA

घटक II – कृषि वानिकी :

परियोजना में स्वयं सहायता समुहों (SHG) के माध्यम से स्थानीय मांग/आवश्यकता अनुसार पौधे तैयार कर विक्रय किया जाना निर्धारित है । उक्त स्वयं सहायता समूहों का गठन मण्डल प्रबन्धन ईकाई हेतु चयंनित स्वयं सेवी संस्था द्वारा संबंधित वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्य परिवारों में से किया जावेगा। विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी जानकारी व प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा परियोजना से पौध तैयारी हेतु सामग्री राशि उपलब्ध कराई जावेगी। प्रजातिवार स्थानीय मांग का आकलन वक्त सूक्ष्म नियोजन तैयारी स्वयं सेवी संस्था द्वारा किया जावेगा। प्रति समूह 25000 पौधे तैयार कर विकय किये जाने का लक्ष्य परियोजना में निर्धारित है। इस कार्य को परियेाजना में **"हरित ग्राम आंदोलन"** का नाम दिया गया है।

घटक III – जल संरक्षण संरचनाऐं (WCS)

परियोजना अन्तर्गत निम्न प्रकार की जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण उपयुक्त स्थलों पर (चयनित गांव के अन्तर्गत) किया जावेगा :

क्र. सं.	जल संरचना का नाम	यूनिट राशि	भौतिक लक्ष्य
1	एनिकट टाईप–I	1,60000	600
2	एनिकट टाईप–II	4, 70000	400
3	चैकडेम	200 Per Cumt	200,000 Cumt
4	कन्टूर बन्डिंग	120 Per RMT	500,000 RMT
5	परकोलेशन टैंक	36,700	700
6	रिनोवेशन/रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर (बावडी/टांका सुधार)	1,00000	200
7	सील्ट डिटेक्शन स्ट्रक्चर	90,000	300
8	गैबियन स्ट्रक्चर	25,000	500

घटक IV – जैव विविधता संरक्षण

परियोजना के अन्तर्गत 7 चयनित वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास 2 कि.मी. की परिधि में स्थित चयनित गांवों में निम्न कार्य कराये जावेंगे :

क.स.	नाम कार्य	यूनिट राशि	भौतिक लक्ष्य
1	डेनेज लाईन ट्रिटमेंन्ट (DLT) नाला उपचार	12000	12000 हैक्टर
2	जैव विविधता क्लॉजर निर्माण	मॉडल अनुसार	5000 हैक्टर
3	वॉटर पॉइन्ट्स (जल बिन्दु) का विकास	300000	100

उपरोक्त के अतिरिक्त इस घटक के अन्तर्गत विभाग के माध्यम से निम्न भी कार्य कराये जावेंगे :

1. गोडावण संरक्षण कार्य
2. चौसिंगा संरक्षण कार्य
3. माचिया बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण
4. सज्जनगढ़ एवं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्कों का विकास

घटक V – गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार :

इसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव में औसतन 3 स्वयं सहायता समूह (SHG) का गठन कर तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर आय सृजन गतिविधियाँ कराई जावेगी। परियोजना में कुल 1950 स्वयं सहायता समूह विकसित करने का लक्ष्य है। स्वयं सहायता समूह का गठन, उनका प्रशिक्षण व उनको सक्रिय करने का कार्य स्वयं सेवी संस्था द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक समुह को राशि रू 0.50 लाख का ऋण वन सुरक्षा एंव प्रबन्ध समिति द्वारा दिया जावेगा जोकि समूह द्वारा दो वर्ष के अंतराल में लौटाया जावेगा। परियोजना की समाप्ति पर समस्य राशि समिति के कॉरपस निधि में जमा हो जावेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न स्थलों पर पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के कार्य (Eco-Tourism sites) स्वंय सहायता समूह के माध्यम से ही लिए जावेंगेः

क्र. सं.	नाम स्थल	राशि लाखों में
1	गौरम घाट	20.00
2	भीलबेरी	22.75
3	ठण्डीबेरी	14.25
4	सुमेर	25.50
5	गुढ़ा बिश्नोईयान	28.30
6	सूण्डामाता	30.00
7	झूमरबावड़ी	25.00

परियोजना में SHG द्वारा तैयार उत्पाद की मार्केटिंग एवं मूल्य संवर्धन हेतु पृथक से राशि का प्रावधान है। जो कि उपयुक्त प्रस्तावानुसार आवंअित की जावेगी ।

घटक VI – क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान :

इसके अन्तर्गत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति (VFPMC) के सदस्यों को, स्वयं सेवी संस्था (NGO's) को, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता को, वनकर्मियों एवं अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना निर्धारित है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष VFPMC के सदस्यों के दो भ्रमण कार्यक्रम भी निर्धारित है। परियोजना अवधि में दो राष्ट्रीय कार्यशालाएँ तथा एक अर्न्तराष्ट्रीय कार्यशाला भी आयोजित की जावेगी। परियोजना से संबंधित चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों को विदेश में प्रशिक्षण कराये जाने का भी प्रावधान है।

रोहिड़ा व खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण हेतु परियोजना क्षेत्र में 200 हैक्टर क्षेत्र में विशेष अनुसंधान कार्य किया जाना निर्धारित है।

VFPMC's के सदस्यों को कृषि, पशुधन विकास जैसे क्षेत्र में उपलब्ध बेहतर प्रौद्योगिकी की जानकारी कराये जाने के उदेश्य से परियोजना अन्तर्गत कुल 1400 फील्ड विजीट / विस्तार शिविर का भी प्रावधान है।

घटक VII – सामुदायिक संगठन विकास :

परियोजना अन्तर्गत चयनित गांवों में 650 VFPMC/EDC का गठन किया जाना है। इन गांवो में सर्वप्रथम NGO's की सहायता से सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लॉन) तैयार किया जावेगा। इस सूक्ष्म नियोजन के अनुसार ही परियोजना के कार्य गांव में लिए जा सकेगें। प्रत्येक समिति के क्षेत्र में रू. 4.00 लाख की सीमा तक प्रवेश बिन्दु गतिविधि (Entry Point Activities) की जा सकेगी। प्रत्येक VFPMC/EDC हेतु रू.1.50 लाख की लागत से बैठक केन्द्र बनाया जाना निर्धारित है। उक्त केन्द्र हेतु आवश्यक भूमि/भूखण्ड ग्राम पंचायत से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रचार–प्रसार हेतु जागृति शिविर, कार्यशालाएँ एवं सेमीनार तथा सामान्य प्रचार–प्रसार का भी प्रावधान है।

प्रत्येक मण्डल प्रबन्धन ईकाई स्तर पर सामुदायिक संगठन विकास के कार्य हेतु पृथक स्वयं सेवी संस्था नियोजित की गई है जो कि उपरोक्त कार्यो में विभाग का सहयोग करेगी।

घटक VIII – परियोजना प्रबन्धन :

परियोजना में परियोजना की गतिविधियां को यथोचित ढ़ंग से सम्पादित करने हेतु किराये पर वाहन लेने, कार्यालय कार्यकलाप पर व्यय करने सम्बन्धी तथा VFPMC/EDC के कार्य से संबंधित व्यय हेतु राशि का प्रावधान किया गया है । परियेाजना संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये विशेष कम्प्यूटर सॉफटवेयर तैयार कराया जावेगा ।

घटक IX – मूल्यांकन एवं प्रबन्धन :

परियोजना में पारम्परिक मूल्यांकन एवं प्रबोधन प्रणाली के अतिरिक्त GIS प्रणाली से भी मूल्यांकन एवं प्रबोधन किया जाना निर्धारित है। इस हेतु परियोजना क्षेत्र में 2 GIS सेन्टर स्थापित किये जायेंगे। परियोजना से संबंधित समस्त गतिविधियों एवं महत्वपूर्ण स्थलों के GPS रिडिंग प्राप्त की जावेगी तथा रिमोट सेसिंग इमेज का उपयोग कर परियोजना के प्रभाव का आकंलन किया जावेगा।

प्रत्येक गांव में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व महत्वपूर्ण आकड़ों को एकत्रित किया जावेगा ताकि उसके आधार परियोजना के प्रभाव का आकंलन किया जा सकें।

8. परियोजना की कार्य क्रियान्वयन प्रणाली :

परियोजना में समस्त कार्य VFPMC/EDC के माध्यम से ही कराये जायेंगे। परियोजना में उन्ही क्षेत्रों/गांवों का चयन किया जाना है जिनमें पूर्व में किसी भी बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना अन्तर्गत वानिकी विकास कार्य नही किये गये हो।

मरूस्थलीय क्षेत्र, गैर मरूस्थलीय क्षेत्र, एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के आस–पास के क्षेत्र में गांवो के चयन हेतु विशेष मापदण्ड निर्धारित किये गये है जिनके अनुसार उपर्युक्त पाये जाने पर ही उक्त गांव में परियोजना का कार्य लिया जा सकेगा। सर्वप्रथम नियोजित NGO द्वारा चयनित गांव में PRA/RRA आदि की प्रक्रिया से माइक्रोप्लॉन तैयार करने का कार्य किया जावेगा। इसी दौरान NGO द्वारा गांव की सार्वजनिक एवं वन भूमि से सम्बन्धित हित धारकों की पहचान कर राज्यादेश दिनांक 17.10.2000 / 24.10.2000 के अनुसार VFPMC/EDC का गठन का कार्य किया जावेगा। ग्राम के चयन, माइक्रोप्लॉन तैयारी तथा VFPMC/EDC गठन के कार्य में सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल, सहायक वनपाल, वनरक्षक, केटल गार्ड, आदि समस्त वन कर्मचारियों का सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोग अति आवश्यक एवं अनिवार्य है।

VFPMC/EDC का गठन कर उसका पंजीयन नियमानुसार कराया जावेगा। NGO द्वारा तैयार सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लॉन) की पूर्ण जानकारी समिति के सदस्यों को पृथक बैठक आयोजित कर दी जावेगी, तथा आवश्यक विचार विमर्श, चर्चा एवं संशोधन उपरान्त माइक्रोप्लॉन का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा। समिति की उक्त बैठक का विस्तृत कार्यवाही विवरण बैठक पंजिका में तत्समय ही लिखा जाकर सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिये जावेंगे, तथा इस विवरण की छांयाप्रति अनुमोदित माइक्रोप्लॉन के साथ संलग्न की जावेंगी । उक्त माइक्रोप्लॉन की नियमानुसार स्वीकृती वन मण्डल स्तर पर प्राप्त की जावेगी तथा स्वीकृत माइक्रोप्लॉन परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 को भिजवाया जावेगा। परियोजना निदेशक कार्यालय स्तर पर उक्त माइक्रोप्लॉन की समीक्षा उपरान्त परियोजना गतिविधियों हेतु आवश्यक बजट आवंटित किया जावेगा।

NGO द्वारा VFPMC/EDC में आवश्यक संगठनात्मक क्षमता का विकास किया जावेगा। उनकी नियमित बैठक कराई जावेगी तथा आवश्यक अभिलेख संधारित कराये जावेंगे। NGO द्वारा ही समिति के सदस्यों में से SHG का गठन किया जावेंगा तथा उन्हें सक्रिय किया जावेगा वानिकी विकास कार्यो हेतु तकनीकी मार्गदर्शन विभागीय कर्मचारी / अधिकारियों द्वारा समिति के सदस्यो को प्रदान किया जावेगा।

परियोजना में अधिकांश व्यय समिति स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। समिति स्तर पर किये गये व्यय का समस्त लेखा एवं रिकार्ड समिति के स्तर पर ही संधारित किया जावेगा जिसका प्रतिवर्ष ऑडिट किया जावेगा।

समिति द्वारा प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्रों में प्रगति प्रतिवेदन, मासिक लेखा, पुनभर्रण दावा आदि तैयार कर प्रस्तुत किया जावेगा।

9. कॉरपस निधि

परियोजना अंतर्गत विकिसित व निर्मित संसाधनों के संधारण हेतु तथा परियोजना के माध्यम से किये गये हस्तक्षेप व निर्मित प्रकियाओं का परियोजना समाप्ति उपरान्त जारी रखने के उद्देश्य से प्रत्येक समिति में उक पृथक कॉरपस निधि खाता रखा जावेगा। इस खाते मे समिति द्वारा वृक्षारोपण कार्य पर किये गये कुल व्यय का 3 प्रतिशत अथवा राशि रू 2.00 लाख जो भी कम हो, जमा की जावेगी। परियोजना समाप्ति पर स्वयं सहायता समूह को दिये गये ऋण राशि को भी इस निधि में समायोजित किया जावेगा। कॉरपस निधि में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से ही आवश्यक संधारण का कार्य समिति द्वारा विभाग के निर्देशन में किया जावेगा।

10. समिति के खातों व लेखा पुस्तकों का वार्षिक अंकेक्षण :

चूंकि परियोजना का संचालन सोसायटी द्वारा किया जा रहा है, परियोजना से सबंधित समस्त व्यय, लेखा , लेखा पुस्तिकाओं व कार्य की वार्षिक अंकेक्षण इस हेतु नियुक्त सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) द्वारा किया जावेगा। मण्डल प्रबन्धन ईकाई व क्षेत्र प्रबन्धन ईकाई के कार्यालयों के साथ साथ वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियें के अभिलेखों को भी नियमित अंकक्षेण किया जावेगा। इस हेतु परियोजना से संबंधित समस्त अभिलेख अलग से तैयार व संधारित किये जावे तथा यह ध्यान रखा जावे कि किसी अन्य योजना या मद के कार्य में यह सम्मिलित नही होने पावे।

11. परियोजना का सोसायटी प्रणाली में संचालन :

पूर्व की परियोजनाओं से भिन्न ,यह परियोजना इस हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित पृथक सोसायटी – *"राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी"* द्वारा किया जा रहा है। यह सोसायटी राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत उप पंजीयक, समितियां, जयपुर के कार्यालय में पजीकृत है तथा इसका पंजीकरण कमांक 1207 / 2010–11, जयपुर है। इस सोसायटी का पंजीकरण दिनांक 08 मार्च 2011 को कराया गया था। इस सेासायटी के उपनियम राज्य सरकार द्वारा पृथक से सवेकृत किये गये है। सोसायटी के दैनिक कार्य का संचालन परियेाजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैवविविधता परियेाजना 2 के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। सोसायटी में एक शासकीय निकाय है जिसके पदेन अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान हैं। सोसायटी की सर्वोच्च सभा एक उच्चाधिकार समिति है जिसके पदेन अध्यक्ष माननीय वन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार है। इस समिति में मुख्य सचिव राजस्थान पदेन उपाध्यक्ष है तथा अनेक विभागों के प्रमुख सचिव इसके सदस्य है।

परियोजना की राशि सोसायटी का जरिये अनुदान प्राप्त होती है जिसे सोसायटी के बचत खाते में जमा रखा जाता है। सोसायटी द्वारा नियमित तौर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को भिजवाया जाना होता है ताकि अगली किश्त प्राप्त की जा सके।

12. परियोजना में कय / विकसित स्थाई संसाधन / सामग्री का संधारण

चूंकि परियोजना सोसायटी द्वारा संचालित की जा रही है जिसे जर्ये अनुदान राशि प्राप्त होती है, परियोजना व्यय से प्राप्त किसी भी भण्डार सामग्री का रिकार्ड पृथक से रखा जावे ताकि परियोजना समाप्ति पर उसके निस्तारण के संबंध में निर्णय लिया जा सके। साथ ही परियोजना अंतर्गत विकसित सभी प्राकर के संसाधनों की जानकारी द्वारा पृथक पंजिका में नियमित तौर पर संधारित की जावे।

13. परियोजना की सफलता का सूत्र

यह परियोजना मुख्यतः तीन निम्न आधार स्तम्भों पर निर्भर है :

प्रथम स्तम्भ : वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति

समिति के माध्यम से जन सहभागिता प्राप्त की जावेगी। अच्छी समिति अर्थात् बेहतर जन सहभागिता अर्थात् परियोजना में समाज का अपनत्व व उत्तरदायित्व ।

द्वितीय स्तम्भ : स्वयं सेवी संस्था

स्वयं सेवी संस्था समिति के सही गठन , समिति सदस्यों के क्षमताओं में अपेक्षित विकास व समिति के समुचित संचालन को सुनिश्चित करेगी। अर्थात् स्वयं सेवी संस्था समिति की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। अतः स्वयं सेवी संस्था का कार्य जितना बेहतर होगा समिति का विकास व उसकी गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

तृतीय स्तम्भ : विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी

विभाग का दायित्व परियोजना को समुचित व उच्च श्रेणी की तकनीकी, प्रशासनिक व प्रबन्धकीय दिशा प्रदान कर बेहतरीन नेतृत्व प्रदान करना है। मूलतः यह विभाग का दायित्व है कि इस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करे कि समिति व स्वयं सेवी संस्था अपना कार्य बेहतरीन तरीके से सम्पादित कर सकें।

उपरोक्त तीनो स्तम्भों में आपसी समझ, समन्वय, सोहार्द्र और परियोजना के ध्येय को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का साझा संकल्प ही परियोजना की सफलता को निर्धारित करेगा। चूंकि विभाग इन तीनो स्तम्भों में सबसे बडा व समर्थ है, विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि स्वयं सेवी सस्था का व समिति को साथ लेकर चले और उनकी क्षमता में विकास करें।